भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1083

उत्तर देने की तारीख 02 दिसंबर, 2024
11 अग्रहायण, 1946 (शक)

खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत खेल विकास

1083. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत खेल विकास तथा अन्य खेल-संबंधी पहलों के लिए तेलंगाना राज्य को कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है तथा इन धनराशियों का उपयोग किस प्रकार किया गया है; और

(ख) क्या तेलंगाना राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल अवसंरचना, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और जमीनी स्तर पर विकास पहलों में निवेश सहित कोई विशिष्ट उपाय किए गए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री

(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) इस मंत्रालय में निधियों का आवंटन स्कीम-वार किया जाता है, न कि राज्य-वार। पिछले तीन वर्षों के दौरान खेल विकास के साथ-साथ किसी भी अन्य खेल-संबंधी पहल के लिए तेलंगाना राज्य सहित देश भर में खेलो इंडिया स्कीम के तहत आवंटित निधियों का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	आवंटित धन
1.	2021-22	869.00
2.	2022-23	600.00
3.	2023-24	880.00

इन निधियों का उपयोग तेलंगाना राज्य सहित देश भर में खेल अवसंरचना के विकास, खेलो इंडिया केंद्रों, खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्रों, खेलो इंडिया मान्यता प्राप्त अकादमियों, खेलो इंडिया एथलीटों और खेलो इंडिया स्कीम के तहत अन्य गतिविधियों के लिए किया गया है।

(ख) 'खेल' राज्य का विषय है, इसलिए खेल अवसंरचना, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और जमीनी स्तर पर विकास पहलों में निवेश सहित खेलों के विकास की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारों की है।

केंद्र सरकार महत्वपूर्ण कमियों को दूर कर उनके प्रयासों में सहायता करती है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय तेलंगाना राज्य सहित देश में खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित स्कीमों को लागू करता है:

(i) खेलो इंडिया - राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम; (ii) राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता; (iii) अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं के विजेताओं और उनके कोचों को विशेष पुरस्कार; (iv) राष्ट्रीय खेल पुरस्कार; (v) मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन; (vi) खिलाड़ियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कोष; (vii) राष्ट्रीय खेल विकास निधि; और (viii) भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से खेल प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन।

उपरोक्त स्कीमों का विवरण इस मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) की वेबसाइटों पर सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध है।

*****